न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
श्रीमती गंगा देवी पत्नि सोनाजी जाति पुरोहित निवासी रामसीन तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर		1. राजस्थान सरकार जरिए उप तहसीलदार रामसीन जिला जालोर 2.वेलाराम पुत्र सोनाजी जाति पुरोहित निवासी रामसीन तहसील जसवंतपुरा 3.शांति पुत्री सोनाजी पत्नि सवाजी निवासी पावटी जाति पुरोहित निवासी तहसील जसवंतपुरा 4.कोकू पुत्री सोनाजी पत्नि मादाजी निवासी तवाब तहसील जसवंतपुरा 5.लीला पुत्री सोनाजी पत्नि ताराजी निवासी मोहब्बतनगर जिला सिरोही 6.नेनू पुत्री सोनाजी पत्नि प्रतापजी निवासी पावटी निवासी तहसील जसवंतपुरा 7.शारदा पुत्री सोनाजी पत्नि भावाजी निवासी मूडतरा निवासी तहसील जसवंतपुरा 8.सीता पुत्री सोनाजी पत्नि भूराजी निवासी वरडा जिला सिरोही
प्रकरण संख्या अपील		16/2017

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री चुन्नीलाल अभिभाषक अपीलान्ट
2-श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक
3-रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
4-सिकन्दर अली अभिभाषक 3 से 8

निर्णय

दिनांक:-22.11.2017

1. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह अपील उप तहसीलदार रामसीन के आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।जो ग्राम रामसीन के नामान्तरकरण संख्या 2560 पर पारित किया गया है।

2. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित नामान्तरकरण तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

3. संक्षिप्त में अपीलांट के द्वारा अपील में यह अंकित किया कि मौज रामसीन के वक्त सैटलमेन्ट खसरा नम्बर 352 रकबा 1.71 हैक्टयेर, ख.न. 1211 रकबा 2.86 हैक्टयेर, ख.न. 1772 रकबा 1.37 हैक्टेयर, ख.न. 2705 रकबा 3.63 हैक्टेयर कुल रकबा 9.57 हैक्टयेर बीघोडी 141.86 रूपये की आई हुई है। जिसकी खातेदारी सन् 1955 में वक्त सैटलमैन्ट में सोना वल्द लकमा के नाम की थी।यह भूमि सोना पुत्र लिकमा की स्वअर्जित भूमि थी। द्वितीय सैटलमैन्ट में मिसल बन्दोबस्त दिनांक 01.07.1989 से 2009 में भी खातेदार सोना वल्द लिखमा कौम पुरोहित के नाम से दर्ज थी। इसके पुराने ख.न. 274, 1410, 1277 व 560 थे। जिसमे भी सोना वल्द लिखमा खातेदार है।

सन् 1955 में जागीरी उन्मूलन के समय सोना वल्द लिखमा काश्त करता था। इसलिए सैटलमैन्ट में भी उक्त भूमि सोना वल्द लिखमा के नाम दर्ज हुई जो स्वअर्जित थी, कब्जा काश्त भी सोना का था। सोना वल्द लिखमा द्वारा एक रजिस्टर्ड वसीयत अपनी पत्नी श्रीमती गंगा देवी के नाम करवाई गई। जिसका रजिस्ट्रेशन कार्यालय उप पंजीयक कार्यालय, भीनमाल में पंजीबद्व हुआ। यह दस्तावेज दिनांक 21.5.1995 को पंजीबद्व किया

जिला कलेक्टर, जालोर

गया।जिसमे खातेदार सोना ने उपर्युक्त भूमि के अलावा अपनी खुद की निजी आय से बनाया गया मकान जो मौजा रामसीन में दर्ज है। मकान भी श्रीमती गंगादेवी के नाम वसीयत किया गया था। यह वसीयत अब भी जीवित है। सोना खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। यह वसीयत अन्तिम इच्छापत्र थी जो सोना ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी के नाम निष्पादित किया था उपर्युक्त वसीयत में सोना खातेदार ने यह भी बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद यह सम्पति सोना के पोता गणेशा के नाम रहेगी।

सोना की मृत्यु हो गई। सोना की मृत्यु के बाद श्रीमती गंगादेवी ने वसीयतनामा पेश नहीं कर सकी। इस पर फौतगी म्यूटेशन भरते समय भूमि वेला पुत्र सोना व श्रीमती गंगा पत्नी सोना के नाम दर्ज किया गया। क्योंकि श्रीमती गंगा की वसीयतनाम की जानकारी नही थी। उक्त म्यूटेशन के विरूद्ध सोना की पुत्रियो द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर के समक्ष एक अपील पेश हुई। सोना पुत्र लिखमा की मृत्यु दिनांक 11.06.1998 को हो चुकी थी। म्यूटेशन के विरूद्ध अपील पेश हुई तब श्रीमती गंगादेवी ने अपने पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा जो निष्पादित किया गया उसे पेश किया गया। न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर द्वारा म्यूटेशन सं. 565 ग्राम रामसीन दिनांक 27.06.1998 को निरस्त करते हुए पत्रावली नियमानुसार वसीयत एवं विधिक उत्तराधिकारी को सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार म्यूटैशन पारित करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट गंगादेवी को अति. सम्भागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 24.09.2014 को स्थगन आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर के आदेश को स्थगित रखा गया था अर्थात जिला कलक्टर, जालोर के आदेश प्रभावित नहीं किया गया था फिर भी तहसीलदारजी द्वारा पुराने म्यूटेशन को निरस्त करते हुए सोना पुत्र लिखमा मुल खातेदार को नाम से पुनः इन्द्राज किया गया।

राजस्व अभियान के दौरान उप तहसीलदार रामसीन द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद भी म्यूटेशन सं. 2560 भरा गया तथा श्रीमती गंगादेवी के नाम भूमि का नामान्तकरण न कर पुनः वेलाराम पुत्र सोना, शान्ति, कोकू, लीला, नेनू, शारदा, सीता पुत्रीयां सोना के नाम म्यूटेशन भरा गया। यह आदेश राजस्व लोक अदालत मे पेश किया गया। न्यायालय तहसीलदार, जसंवतपुरा के आदेश दिनांक 08.06.2017 के आदेश की पालना में विरासत का म्यूटेशन भरा गया तथा दिनांक 08.6.2017 को ही उप तहसीलदार, रामसीन द्वारा म्यूटेशन स्वीकृत करते हुए रेस्पोडेण्ट के नाम म्यूटेशन भरा गया। इस आदेश से असंन्तुष्ट होकर अपीलार्थी अपील पेश की है।

4. अपीलांट के वकील ने बहस में व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन भरने में वैधानिक भूल की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लोक अदालत के प्रकरणो में स्पष्ट रूप से आदेश दिये है कि ऐसे प्रकरण जिसमे पक्षकार आपस में रजामंद हो वे ही मुकदमे लोक अदालत द्वारा निर्णित किये जा सकते है।यदि पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा या सहमति नहीं हो तो मुकदमे का निस्तारण नही किया जाएगा। लोक अदालत को स्वंय को फैसले करने का कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अति. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के आदेश को भी अनदेखा किया गया है। अति. सम्भागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 24.09.2014 को स्पष्ट आदेश दिया है कि खसरा नम्बर-1211, 1772, 352, 2705 में किसी प्रकार का रिकार्ड में हेर-फेर न करें तथा जिला कलक्टर, जालोर के आदेश को स्थगित रखा गया था अर्थात पूर्व में म्यूटेशन जो श्रीमती गंगादेवी व वेलाराम के नाम भरा गया था। उसे बरकरार रखा गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से म्यूटेशन भरा गया था।

श्रीमान् जिला कलक्टर, जालोर के आदेश को भी देखे तो जिा कलक्टर, जालोर द्वारा यह स्पष्ट आदेश दिया था कि सोना की मृत्यु के बाद रजिस्टर्ड वसीयत जो श्रीमती गंगादेवी के पक्ष में रखी गयी है उसे ध्यान में रखते हुए व उसके वारीसदारो को ध्यान में रखते हुए व कानूनी बिन्दूओं को ध्यान में रखते हुए यह भी आदेश दिया था कि दोनों पक्ष को सुनते हुए सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए नियमानुसार म्यूटेशन भरा जावे। इस आदेश को भी अनदेखा किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलाण्ट को नोटिस दिया व न ही इसकी पत्रावली कायम की गई दिनांक 08.06.17 को पटवारी हल्का द्वारा म्यूटेशन भरा गया। उसी दिन जांच की गई तथा उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म्यूटेशन स्वीकृत किया।

जिला कलेक्टर, जालोर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो को सुना नहीं तथा अपीलाण्ट को कोई नोटिस नही दिया गया तथा अति. सम्भागीय आयुक्त,जोधपुर व जिला कलक्टर, जालोर के आदेश को भी अनदेखा किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने लड़कियों के हक के संबंध में वर्तमान में ही फैसले दिये गये है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वर्ष 2005 से पहले हो गई है तो ऐसे मामलो में लड़कियों का हक प्राप्त नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी नजरअदांज किया गया है। सोना की मृत्यु सन् 1998 में हो गई थी। सोना ने जीते-जी अपनी स्वअर्जित खातेदारी भूमि, स्वअर्जित मकान दोनो श्रीमती गंगादेवी के नाम वसीयत कर दिये थे तथा श्रीमती गंगादेवी ने सोना की मृत्यु के नाम अपने नाम म्यूटेशन होने के बाद तीनो पोतो के नाम गिफट (बख्शीशनामा) निष्पादित किया था। उसका भी इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में हुआ था। उन पक्षकारों को भी नहीं सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अति. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के स्थगन आदेश का नोट जमाबंदी में लगा हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय को इसकी जानकारी भी है कि प्रकरण के संबंध में न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है फिर भी गैर कानूनी रूप से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये म्यूटेशन भरने में भूल की गई है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार के संबंध में पूर्व में भी आभास था कि अपीलाण्ट के विरूद्ध गलत फैसला करेगे तथा वसीयत के आधार पर म्यूटेशन नहीं खोलेगे तथा बाला-बाला ही म्यूटेशन फाईल कर देगे, इसलिए अपीलाण्ट ने जिला कलक्टर न्यायालय, जालोर के विरूद्ध अति. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील फाईल की।

अपीलाण्ट को भनक मिली की शायद म्यूटेशन भरा गया है। इस तरह अपीलाण्ट ने पटवारी हल्का रामसीन से दिनांक 07.07.2017 को जमाबंदी की नकल मांगी गई। जमाबंदी की नकल प्राप्त होने पर अपीलाण्ट को मालूम पडा कि राजस्व अभियान में गलत रूप से अपीलांट के नाम म्यूटेशन न भरकर रेस्पोडेण्ट के नाम भरा गया है। जबकि अति. सम्भागीय आयुक्त, में अपील विचाराधीन है तथा वहां से स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। जमाबंदी की नकल प्राप्त होने पर अपीलाण्ट ने तहसीलदार कार्यालय, जालोर से आदेश की प्रति मांगी गई, परन्तु आदेश की प्रति नहीं मिली तथा नामान्तकरण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया इस पर दिनांक 10.07.2017 को प्राप्त हुई जिस पर अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अपीलाण्ट को इससे पूर्व म्यूटेशन की जानकारी नहीं थी क्योकि इससे पूर्व राजस्व लोक अदालत में म्यूटेशन का बिना अपीलाण्ट को सूचित किये फैसला किया गया है।

अत: अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 2560 निरस्त किया जावे एवं अपीलाण्ट के नाम वसीयत के आधार पर नामान्तकरण भरा जावे एवं खातेदारी जमाबंदी में इन्द्राज किया जावे।

5. सरकारी अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि कि अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 में न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा के आदेश कमांक/सम/02-05 दिनांक 08.06.2017 की पालना में विरासत का नामान्तरकरण दायर किया गया है जो विधीवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 के वकील ने बहस में व्यक्त किया कि नामान्तरकरण से संबंधित भूमि मौजा रामसीन के पुराने खसरा नंबर 274,1410,1277 व 560 की भूमि सोना पुत्र लखमा पुरोहित निवासी रामसीन की पुश्तैनी भूमि होने से वक्त प्रथम सेटलमेन्ट सोना के नाम से मिसल बन्दोबस्त में दर्ज हुई थी। यह भूमि सोना की स्वअर्जित खरीद हुई नही है। जिससे सोना को इस भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उप तहसीलार रामसीन ने तहसीलदार जसवंतपुरा के आदेश दिनांक 08.06.2017 की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण सही भरा गया है तथा अपीलांट स्वंय को तहसीलदार की जांच की पूर्ण जानकारी थी। राजस्व अभियान के केम्प रामसीन की भी जानकारी थी। फिर भी देरीना अपील गलत रूप से पेश की गई है। अत: अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर आर डी 2009 पेज 101, आर आर डी 2014 पेज 221, आर आर डी 2005 पेज 87, आर आर डी 1995 पेज 113 व डी एन जे (आरईवी) पेज 57 के दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

7. बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है।रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्तो अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त अपील के तथ्यो से भिन्न होने से प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होते है।

जिला कलेक्टर, जालोर

प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम रामसीन का अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 में न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा के आदेश कमांक/08.06.2017 की पालना में विरासत का नामान्तरकरण दायर किया जाकर स्वीकृत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 02/2014 अनवान श्रीमति लील वगैराह बनाम वेला वगैराह निर्णय दिनांक 16.07.2014 के अर्न्तगत पारित आदेश जो अपीलाधीन नामान्तरकरण पर अंकित है, के अनुसार नियमानुसार सोना के समस्त वारिशान को सुनवाई का अवसर दिया जाना एवं वसीयत आदि के संबध में कोई जांच किया जाना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 16. 07.2014 की पूर्ण पालना नहीं की जाकर नामान्तरकरण पारित किया जाना पाया जाता है।

इस न्यायालय के उक्त पूर्व आदेश दिनांक 16.07.2014 की अपील माननीय डिवीजनल कमीश्नर जोधपुर के समक्ष 82/14 प्रस्तुत होने पर पारित आदेश दिनांक 19.07.2017 के अनुसार इस न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.07.2014 की पालना व प्रभाव को स्थिगित किया गया था। इसके पश्चात यह अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना भी अनुचित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में कानूनी एवं वाक्यिाती भूल की है। साथ ही डिवीजनल कमीश्नर जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 172/2017 अनवान श्रीमति गंगा बनाम लील वगैराह में दिनांक 19.072017 के द्वारा तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 की पालना व प्रभाव को स्थिगित किया है।

अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 22.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर